भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1687
(02 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई के अंतर्गत सभी के लिए आवास

1687. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की शुरुआत की थी;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है क्योंकि एक नए सर्वेक्षण में पहले के अनुमानित लगभग 2.95 करोड़ संभावित लाभार्थियों के अतिरिक्त 3.54 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों की सिफारिश की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित लाभार्थियों की संख्या की जांच की है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार सभी को आवास प्रदान करने की योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) विगत पांच वर्षों के दौरान बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित लोगों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी हां।

(ख) से (छ): वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंदिरा आवास योजना नामक पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-

ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत तय किया गया लक्ष्य सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी)-2011 के डाटा पर आधारित है। जिन परिवारों को पीएमएवाई-जी स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं किया गया है परंतु जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनके वर्तमान मकान के जियोटैग किए गए फोटोग्राफ सहित ऐसे परिवारों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (आवास+) को विकसित किया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवास+ के माध्यम से दर्ज किए गए डाटा की संवीक्षा/सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण की समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज): बुंदेहलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में पिछले 5 वर्षों में आईएवाई/पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित मकानों की वर्ष-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। आईएवाई/पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2014-15 से 2018-19 में लाभार्थियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा वेबसाइट https://rhreporting.nic.in. पर आवाससॉफ्ट की A2 रिपोर्ट में उपलब्ध है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गांव/ग्राम पंचायत में लाभार्थी स्तर तक के डाटा की जांच की जा सकती है।

अनुबंध- I

लोक सभा में दिनांक 02.07.2019 को पीएमएवाई के अंतर्गत सभी के लिए आवास के विषय में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1687 के भाग (ज) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में आईएवाई/पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पूर्ण किए गए मकान

क्र. सं.	जिला	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
1	बांदा	6254	8833	11302	11809	12264	50462
2	चित्रकूट	370	1185	5791	6273	6523	20142
3	हमीरपुर	1576	1538	1468	4048	3663	12293
4	जालौन	6017	1383	1026	7354	3207	18987
5	झांसी	1760	352	1386	6752	2502	12752
6	ललितपुर	3140	766	2722	5706	3488	15822
7	महोबा	955	1591	1058	3338	2725	9667
8	छतरपुर	35	84	5031	14814	15453	35417
9	दमोह	32	88	9013	17619	20532	47284
10	दतिया	145	88	1767	3793	3213	9006
11	पन्ना	206	226	8242	12981	16660	38315
12	सागर	42	65	9651	24766	29621	64145
13	टीकमगढ़	396	39	4240	14197	13754	32626
	कुल	20928	16238	62697	133450	133605	366918

****